चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी श्री देवी प्रसाद पाल,उपजिलाधिकारी श्री फूलचंद्र यादव एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज करन की उपस्थिति में तहसील सभागार राजापुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण

शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(3). आज दिनाँक 21.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा थाना राजापुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक राजापुर को रजिस्टरों के अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना निस्तारण,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई,बिजली,पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

(4). आज दिनाँक 21.02.2026 को अपर जिलाधिकारी(एफ.आर) श्री चन्द्रशेखर एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी मऊ श्री ऋषि रमण की उपस्थित में तहसील सभागार मऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 21.02.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2023 धारा 306 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पंकज यादव पुत्र उमेश यादव निवासी अतरी मजरा माराचंद्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 14.03.2023 को थाना बहिलपुरवा अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त द्वारा वादी के चाचा की लड़की का अश्लील वीडियों बनाकर वायरल कर देने पर दिनांक 13.02.2023 को चाचा द्वारा अपनी पत्नी व पुत्री को गोली मारकर हत्या करना देना तथा दिनांक 14.03.2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर देना । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 13/2023 धारा 306 भादवि0 बनाम पंकज यादव पुत्र उमेश यादव निवासी अतरी मजरा चन्द्रामारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब सोनकर द्वारा सम्पादित की गयी तथा दिनांक 15.03.2023 को आरोपी को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 09.05.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 21.02.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त चरण सिंह पुत्र भीकम सिंह निवासी रेडी भुसौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.05.2023 को उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना मऊ द्वारा अभियुक्त चरण सिंह पुत्र भीकम सिंह निवासी रेडी भुसौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 किलो हरा गांजा व 500 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 135/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में दिनाँक 07.06.2023 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(7). आज दिनाँक 21.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष पहाड़ी प्रवीण कुमार सिंह को रजिस्टरों के अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई,बिजली,पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।